(3)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

रामचरण बनाम गीता बाई

किस्म मुकदमाः– रिव्यु प्रार्थना–पत्र　　　　　　　　　　मिसल नं0　2025/61

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो किस हुक्म की तारीख में जारी हुये
30/07/2025	पत्रावली वास्ते बहस पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी श्री ओमप्रकाश प्रजापति व अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 श्री राजेन्द्र माथुर उपस्थित। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 31.01.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते रिव्यु पर सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र वास्ते रिव्यू निर्णय दिनांक 31.01.2025 में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा अपील में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज प्रथम 212 आर. टी. एक्ट. का प्रार्थना पत्र विचाराधीन होते हुए दुसरा 212 आर. टी. एक्ट. के प्रार्थना पत्र को सुनवाई हेतु स्वीकार कर पूर्व में विचाराधीन होते हुए एक तरफा स्टे जारी किया गया है जो न्याय व नियमो के विरूद्ध है तथा माननीय नयायालय में प्रस्तुत की गई नजीर के आधार पर विचारण न्यायालय का कृत्य भष्ट आचरण की तारीफ में आता है तथा इस पर कोई निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। जो की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर स्पष्ट किया जाना आवश्यक है इस कारण माननीय न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय दिंनाक 31.01.2025 रिव्यू किया जाकर उक्त तथ्यो का स्पष्ट निर्णय किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। न्यायालय में कोई भी वाद व अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बाद कोई भी दुसरा वाद व अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पूर्व मे 'विचाराधीन व अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र को वापिस लिये बगैर अर्थात पुनः नया वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की इजाजत न्यायायलय से लिये बगैर कोई दुसरा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इन तथ्यो के बाबत कोई निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है ऐसी स्थिती मे दिंनाक 31.01.2025 को पारित किया गया निर्णय रिव्यू किया जाकर स्पष्ट निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। उक्त प्रकरण में अधिनस्थ न्यायायल द्वारा प्रथम वाद व अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विचाराधीन होते हुए एक तरफा रूप से द्वितिय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथी को ही एक तरफा इन्टरिम स्टे आर्डर जारी करना परक्षिण न्यायालय का अचरण गलत था विधी विरूद्ध था तथा अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर पारित किया गया निर्णय था जो	

1. यह कि प्रार्थी ने माननीय न्यायालय में रेस्पोडेन्ट कम 1 गीता बाई के द्वारा

न्यायालय की विश्वसनियता पर तो प्रश्न चिन्ह लगाता है परन्तु रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा भी अधिनस्थ न्यायायलय के समक्ष तथ्य छुपाकर अर्थात पूर्व में अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र विचाराधीन होने का तथ्य छुपाकर दुसरा प्रार्थना पत्र गैर काननी तरीके से प्रस्तुत किया गया है जिस पर कानूनन की स्थिती स्पष्ट है कि कोई भी पक्षकार तथ्य छुपाकर न्यायालय में क्लीन हेण्ड से नहीं आता है। वह पक्षकार न्यायालय से किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रहता है तथा ऐसे अवेध प्रार्थना पत्र पर पारित किये गये अन्तरिम आदेश को सही व विधीवत मानकर उस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय पारित करने का जो निर्णय माननीय न्यायायलय द्वारा पारित किया गया है उसमे उक्त काननी स्थिती में सपशट नहीं की गई है कि द्वितिय अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल है या नही है और यदि है तो किस प्रकार से है। प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित भूमि पर अपने हक व हिस्से की भूमि पर कब्जा वक्त रजिस्टर्ड खरीद दिनांक 04.06.1982 से है जिस पर रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा अवेध व गैर कानूनी तरीके से प्राप्त किये गये इन्टरीम स्टे आर्डर से प्रार्थी को बेदखल करने पर अमादा है। जबकी प्रार्थी शुदा अपने कब्जे व खरीद की भूमि से रेस्पोडेन्ट कम 1 का कोई लेना देना नहीं है इस कारण अवेध व गैर कानूनी इन्टीरिम आर्डर से प्रार्थी को अपनी सम्पत्ति से वर्चित होने की नोबत आ गई हैं। यह तथ्य भी प्रकरण में स्पष्ट नहीं किये गये है जबकी अपनी खरीद शुदा भूमि का कब्जे व खाते दर्ज किये जाने की डिकी माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के पक्ष मे दिनाक 29.07.2024 का पारित की गई है जिसकी कोई अपील व चुनोती किसी के द्वारा भी नहीं दी गई है व उक्त अवेध प्रार्थना पत्र में इन्टरिम आर्डर के जर्ये रेस्पोडेन्ट अपीलांट की डिकी की पालना रोक दी गई है इस प्रकार उक्त प्रकरण में पारित किया गया निर्णय रिव्यू किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अन्त में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पूर्व में पारित किया गया निर्णय दिंनाक 31.01.2025 को रिव्यू किया जाकर उक्त कानूनी स्थिती व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो की स्थिती को स्पष्ट करते हुए पुनः निर्णय पारित किए जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 31.01.2025 में किसी प्रकार की विधिक एवं प्रकियात्मक त्रुटि नहीं है। प्रश्नगत आदेश दिनांक 31.01.2025 के विरूद्ध किसी प्रकार की अपील पेश करने का अधिकार अपीलांट को नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.05.2024में अपीलांट प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय में मात्र 30 दिवस में जवाब प्रस्तुत करके निर्णय पारित किए जाने का आदेश प्रदान किया गया है, ऐसी स्थिति में न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.01.2025 में किसी

प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नहीं है। माननीय न्यायालय के निर्णय से प्रार्थी अपीलांट यदि व्यथित है तो वह उक्त आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील अथवा निगरानी प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रश्नगत रिव्यु प्रार्थना–पत्र कानूनन पोषणीय नहीं है। अन्त में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने का निवेदनद किया।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व अधिवक्ता अपीलांट प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते रिव्यू निर्णय दिनांक 31.01.2025 का अवलोकन किया। प्रश्नगत प्रकरण रिव्यु का है अतः सी.पी.सी. का आदेश 47 अवलोकनीय है जो इस प्रकार है– "Application for review of judgment.-(1) Any person considering himself aggrieved- (a) by a decree or order from which an appeal is allowed, but from which no appeal has been preferred,(b) by a decree or order from which no appeal is allowed, or (c) by a decision on a reference from a Court of small Causes, and who, from the discovery of new and important matter or evidence which, after the exercise of due diligence, was not within his knowledge or could not be produced by him at the time when the decree was passed or order made, or on account of some mistake or error apparent on the face of the record, or for any other sufficient reason, desires to obtain a review of the decree passed or order made against him, may apply for a review of judgment of the Court which passed the decree or made the order. (2) A party who is not appealing from a decree or order may apply for a review of judgment notwithstanding the pendency of an appeal by some other party except where the ground of such appeal is common to the applicant and the appellant, or when, being respondent, he can present to the Appellate Court the case on which

1. यह कि प्रार्थी ने माननीय न्यायालय में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 गीता बाई के द्वारा

he applies for the review. [Explanation. The fact that the decision on a question of law on which the judgment of the Court is based has been reversed or modified by the subsequent decision of a superior Court in any other case, shall not be a ground for review of such judgment.]" अतः आदेश 47 के अनुसार किसी भी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की समीक्षा तब ही किया जाना उचित है जब रिकॉर्ड में कोई गलती या त्रुटि होना प्रकट होता हो। हमने न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 31.01.2025 का अवलोकन किया। न्यायालय हाजा द्वारा प्रश्नगत निर्णय दिनांक 31.01.2025 उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनकर पारित किया गया है। न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 31.01.2025 में अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण के विचाराधीन होने के कारण प्रकरण में गुणावगुण पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किए जाने का आदेश अंकित किया है साथ ही प्रकरण के अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण का 30 दिवस में अंतिम रूप से निस्तारण किए जाने हेतु अधीनस्थ निर्देशित किया गया है। अतः न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.01.2025 में अभिलेख के आधार पर किसी प्रकार की त्रुटि होना प्रकट नहीं होता है। हमारे मत में किसी भी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की समीक्षा तब ही किया जाना उचित है जब रिकॉर्ड में कोई गलती या त्रुटि होना प्रकट होता हो। इस सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 2749–2750/2018 में पारित निर्णय दिनांक 12.03.2018 उद्धृत किया है जिसे अनुसार "Civil procedure Code, 1908 order 47, rule 1- Review- Scope of- Appellate powers and review powers are well defined- Power of review is very limited and may be exercised only if there is mistake or error on the face of record- Review petition cannot be decided like regular intra court appeal- What was not decided in appeal by division bence could not be decided by Division Bench while deciding review application." चूंकि न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.01.2025 में अभिलेख के आधार पर किसी प्रकार की त्रुटि होना प्रकट नहीं होता है। अतः उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण की परिस्थितियों पर चस्पा होता है। हमारे मत में

रिव्यु का दायरा बहुत सीमित है तथा रिव्यु केवल रिकॉर्ड में त्रुटि होने पर ही स्वीकार किया जाना कानूनन उचित है। परन्तु न्यायालय हाजा द्वारा पत्रावली में संलग्न सभी दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया जाकर एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी जाकर विधि अनुसार प्रश्नगत निर्णय दिनांक 31.01.2025 पारित किया गया है तथा प्रश्नगत निर्णय दिनांक 31.01.2025 में कोई एरर ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड प्रतीत नहीं होती है। अतः प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अधिवक्ता प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो व नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जावे। प्रार्थना–पत्र की पत्रावली मूल अपील की पत्रावली के साथ संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 30.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

30/7/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा